

सार्वजनिक सूचना/मुनादी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कलानौर क्षेत्र में मैन बाजार, रोड़ व नालों पर अवैध रूप से लगाई जा रही रेहड़ी/फड़ी व नालों पर अवैध रूप से किये गये अस्थाई कब्जे (जैसे सामान, टीन, शैड, विज्ञापन बोर्ड) इत्यादि को रविवार दिनांक 06.04.2025 तक हटा ले, अन्यथा नगरपालिका कलानौर द्वारा सोमवार दिनांक 07.04.2025 को अपने स्तर पर हटवा दिये जायेगे, जिसके हर्जे-खर्चे के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

सूचित रहें।


सचिव,
नगरपालिका कलानौर।

पृ० क्रमांक:-एम०सी०के०/2025/1513 - 16

दिनांक:-21/4/25

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

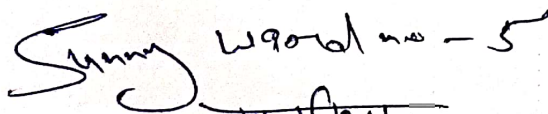
1. प्रधान, नगरपालिका कलानौर।
2. समस्त पार्षदगण, नगरपालिका कलानौर।
3. व्यापार मण्डल, कलानौर।
4. पुलिस चौकी, कलानौर।

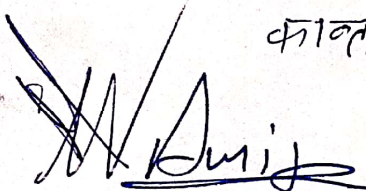

सचिव,
नगरपालिका कलानौर।

o/c
निर्मला देवी
Bijayawar


Jain Singh

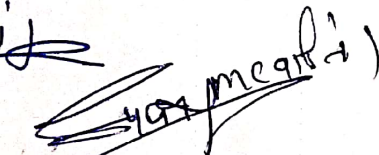

V. Mot.


Sunny Wazir no - 5
मानविका
कावरा देवी


Kamlesh

PR+UL

Kajal


Kajal

Recland
Chandhupur
1328/RTK
02/04/25